स्मृति ईरानी डिग्री मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर सवाल

नई दिल्ली। स्मृति ईरानी का डिग्री मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है. इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर को होगी. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 साल की देरी की वजह से याचिका को खारिज कर दिया था। 18 अक्तूबर 2016 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत सूचना देने को लेकर पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया था। ये स्मृति ईरानी के लिए बड़ी राहत थी क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर कई बार सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में स्मृति ईरानी को समन भेजने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि पहली बात यह कि असली दस्तावेज समय के साथ खो गए हैं और उपलब्ध दस्तावेज मंत्री को समन भेजने के लिए काफी नहीं हैं। कोर्ट ने इसमें शिकायतकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की शिकायत करने में 11 साल लग गए यानी जाहिर है कि मंत्री को परेशान करने की मंशा से शिकायत की गई। स्मृति ईरानी पर ये आरोप लगाकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अपने अब तक के तीन चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी हैं. उनके खिलाफ यह शिकायत कोर्ट में फ्रीलांसर राइटर अहमर खान ने दायर की थी. खान का आरोप है कि स्मृति ने अलग-अलग जगह अपने शैक्षणिक ब्यौरे अलग-अलग दिए। पिछले दो चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए शिक्षा को लेकर दिए हलफनामे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं. इनमें से एक शपथ पत्र में स्मृति ने खुद को बीकॉम बताया है तो दूसरे में बीए। स्मृति ने 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में खुद को डीयू के स्कूल ऑफ कॉरेस्पांडेंस से 1996 बैच का बी.ए. ग्रैजुएट बताया था. इसके बाद 2011 में राज्यसभा में नोमिनेशन के लिए दिए गए एफिडेविट में उन्होंने खुद को डीयू के स्कूल ऑफ करेसपोंडेंस से बी.कॉम पार्ट किया बताया था। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दाखिल अपने तीसरे एफिडेविट में ईरानी ने बताया कि डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी.कॉम पार्ट किया था।

मौसम विभाग ने दी गर्म हवाओं (लू) से बचाव के लिए सजगता बरतने की सलाह

नारायणपुर। राज्य शासन द्वारा मौसम विभाग के जरिये जारी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश में आगामी दिनों में तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना तथा भीषण गर्मी पड़ने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गर्म हवाओं से आम जनता को बचाव हेतु सजगता बरतने का आग्रह किया गया है। इस दिशा में आम जनता को समझाईश देते हुए कहा गया है कि लू खतरनाक साबित हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने तथा रोकथाम हेतु समुचित सावधानी बरतना आवश्यक है। गर्म हवाओं से सुरक्षा हेतु जहां तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए, पानी अधिक पीने के साथ ही यात्रा में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखी जाये, धूप में बाहर जाने पर हल्के रंग के ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने के अलावा गमछा या टोपी से सिर को ढंकने सहित पैरों पर जूते या चप्पल पहनना जरूरी है। अधिक तापमान में कठिन या भारी काम नहीं करना उपयुक्त है। भीषण गर्मी को देखते हुए हल्का भोजन करने के साथ ही अधिक पानी की मात्रा वाले फल तरबूज, खीरा, नींबू, संतरा आदि का सेवन करना आवश्यक है। शारीरिक ताप को बढ़ाने वाले मांस, मेवा इत्यादि का सेवन कदापि न किया जाये। लू से बचाव के लिए घर में बना लस्सी, नमक-चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी इत्यादि पेय पदार्थ का सेवन करना लाभप्रद है। बच्चों और पालतू जानवरों को पार्किंग किये वाहनों में कदापि अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जानवरों को छांव में रखने सहित उन्हें पीने का पर्याप्त पानी दिया जाये। घर को ठंडा रखने के लिए पर्दे और शटर का इस्तेमाल करने सहित रात में खिड़किया खुली रखी जाये। लू लगने पर लू से पीड़ित व्यक्ति को छांव में लिटाने के साथ ही तंग कपड़े पहनने की स्थिति में उसे निकाल दिया जाये। ठंडे गीले कपड़े से शरीर को साफ करने के साथ पीड़ित व्यक्ति को ठंडे पानी से नहलाया जाये। लू से प्रभावित व्यक्ति को ओआरएस का घोल, नींबू पानी अथवा नमक-चीनी का घोल पीने के लिए दिया जाये ताकि शरीर में पानी की मात्रा में वृद्धि हो सके। इसके पश्चात भी सुधार न आने पर प्रभावित व्यक्ति को तत्काल समीपस्थ स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार कराया जाये। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी लेते रहने सहित आगामी तापमान में परिवर्तन को ध्यान रखकर लू से बचाव के लिए हमेशा सजगता बरतने का आग्रह आम जनता से किया गया है।

मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार

फर्जी कंपनियों से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली। लालू यादव और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आज मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी उन्हें आज रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, आठ हजार करोड़ के घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है, लालू यादव की बेटी मीसा यादव को धन मुहैया कराने का भी राजेश पर आरोप है, मीसा की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स को एंट्री भी दिलाई थी, दरअसल, इस मामले में कई बड़े लोगों को कमीशन लेकर शैल कंपनियों के जरिए एंट्री दिलाई गई थी, जगत प्रोजेक्टस को भी 62 करोड़ से ज्यादा की एंट्री दिलाने का आरोप है, इस मामले में एसके जैन और वीके जैन की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. दोनों अभी जेल में हैं. ईडी ने दोनों के खिलाफ पिछले सप्ताह आरोपपत्र दाखिल किया था, राजेश अग्रवाल को पटियाला हाऊस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले खबरें आई थीं कि लालू यादव के दिल्ली, गुड़गांव समेत 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा, रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील मामले में यह छापेमारी की गई है. इसके साथ राजद नेता और लालू के करीबी प्रेम चंद गुप्ता के ठिकानों पर भी छापे मारे गए. यह छापेमारी ऐसे वक्त हुई है जब बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव और उनके परिवार पर जमीन घोटाले के आरोप लगाए। इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि नीतीश जी की मांग पर ही अब लालू के खिलाफ छापे पड़ रहे हैं. उल्लेखनीय है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की संपत्ति मामले में सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ने दोटूक शब्दों में बीजेपी नेता सुशील मोदी को सलाह दी थी कि अगर उनके आरोपों में तथ्य है तो वे जांच करा लें। पिछले एक महीने से राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर अपने पद का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगते रहे हैं. इस मामले में नीतीश कुमार ने पहली बार बयान दिया था. उसी परिप्रेक्ष्य में सुशील मोदी ने यह बात कही।

परीक्षा केंद्र में सेल्फी लेने वाला छात्र 2 साल के लिए बैन

गुजरात बोर्ड का मामला

अहमदाबाद। पोरबंदर में बाहरवीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा एक छात्र परीक्षा हॉल में सेल्फी लेता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। बोर्ड अधिकारियों ने उसकी इस गलती कि सजा के रूप में उसे दो साल के लिए बोर्ड परीक्षाएं देने से बैन कर दिया है। 17 साल के वत्सल करमता और उसके अभिभावकों को गुजरात सेकंडरी बोर्ड ऐंड हायर सेकंडरी एजुकेशन बोर्ड की अनुशासन समिति के समक्ष बुलाया गया था। वत्सल के परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उसने पहले पीछे वाली जेब से फोन निकाला और फिर कुछ सेल्फी लेने के बाद दोबारा एग्जाम लिखने लगा। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि एग्जाम मार्च में हुआ था। 2014 के बाद से बोर्ड ने परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच को अनिवार्य किया हुआ है। पोरबंदर के एक परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी जांच के दौरान वत्सल सेल्फी लेते हुए पकड़ा गया। फुटेज से पता चलता है कि वत्सल ने फोन नकल करने के लिए नहीं निकाला था। बोर्ड ने फोन से नकल करने के भी तीन मामले पकड़े हैं। बोर्ड के डायरेक्टर ने कहा, उसने नियमों के विरुद्ध फोन यूज करने की बात को स्वीकार किया है। इस साल उसे सभी परीक्षाओं में फेल कर दिया गया है। जांच कमिटी ने यह भी तय किया कि वत्सल 2019 से पहले परीक्षा नहीं दे पाएगा। बोर्ड ने गुजरात के 60,000 परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया हुआ है। इस साल यह पाया गया है कि बाहरवीं के 850 छात्रों ने और दसवीं के 1,150 छात्रों ने नियमों को तोड़ा है।

पत्नी के हत्यारे पति व सास को हुयी दस दस साल की सजा

न्यायसाक्षी@रायगढ। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास ने पत्नी की मार-मार कर हत्या कारित करने वाले पति व सास को दस दस साल सश्रम कारावास व 500 ,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी आज दिये गये फैसले में किरोडीमल नगर के इस बहुचर्चित मामला में शिव कुमार सूर्यवंशी व उसकी मां कौशल्या ने श्याम बाई की इस कदर पिटाई की कि सिम्स मे इलाज के दौरान 17 जुलाई 15 को मृत्यु हो गयी मारपीट का खुलासा कोरबा में इलाज के समय डाक्टर को उसके व्दारा बताने से हुयी जिस पर कोरबा पुलिस ने उसका बयान कराया व मामला दर्ज किया था, रायगढ़ मे तो उसपर दबाव डालकर सिढ़ी से गिरने से चोट लगने की बात डाक्टर को बतायी गयी थी बाद में सोनो ग्राफी मे पेट में गंभीर चोट होने से बाहर इलाज कराने की सलाह पर श्याम बाई को कोरबा ले जाया गया जहां से बिलासपुर सिम्स में भर्ती कराया गया था।

पिता पुत्र को हुयी आजीवन कारावास

न्यायसाक्षी@रायगढ। घर के आंगन के विवाद को लेकर अपने ही भाई व चाचा की नृंशस हत्या करने वाले पिता पुत्र को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ डी.आर. देवागन नें आजीवन करावास व एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामला सरिया के मानिक पुर गांव का हैं जहां मृतक शुरु निषाद व रमा निषाद का अगल बगल मकान हैं ओर दोनो में घर के आंगन को लेकर कई बार विवाद हो चुका था, 30 जून 16 को भी कहासुनी हुयी और उसके बाद जब शुरु घर से निकल कर घुमने जा रहा था तो रमा व उसके पुत्र नित्यानंद ने उसे रोका और जमीन पर पटक कर ईट से उसके सर व चेहरे पर वार कर हत्या कर दी। सेशन ट्रयल के लिये सत्र न्यायालय में आया जहां प्रकरण गवाहों व साक्ष्यों से सिध्द होने पर सजा सुनाई गयी।

केजरीवाल के दिवंगत साढू के घर एसीबी का छापा

नई दिल्ली। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार देर रात सीएम अरविंद केजरीवाल के दिवंगत साढू सुरेंद्र कुमार बंसल के घर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाले के सिलसिले में की गई है। पिछले दिनों पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर जब रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे, तब बंसल के नाम का जिक्र हुआ था। हालांकि बंसल का 7 मई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। आम आदमी पार्टी ने उनका नाम घसीटे जाने को शर्मनाक बताया था। जानकारी के मुताबिक बंसल के घर छापे के दौरान एसीबी ने कुछ कागजात बरामद किए हैं जिनका संबंध पीडब्ल्यूडी घोटाले से हो सकता है। हालांकि एसीबी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

क्या है पी डब्ल्यू डी घोटाला? पिछले दिनों इस कथित घोटाले में एसीबी ने तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं, जिनमें सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी का नाम भी शामिल था। ये एफआईआर रोड्स ऐंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक राहुल शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2015-16 में दिल्ली में सड़कों और सीवर लाइन के ठेके देने में गड़बड़ियां की गई थीं। आरोपों के मुताबिक नियमों को ताक पर रख कर इस काम के करीब 10 करोड़ रुपये के बिल पास कर दिए गए। एसीबी ने अपनी जांच में पाया कि जिस सामान की आपूर्ति तक नहीं हुई उनके लिए फर्जी बिल दिए गए और कुछ बिल उन कंपनियों के थे जिनका अस्तित्व ही नहीं है या जो इन सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करतीं। एसीबी के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के अनुसार शर्मा ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया था कि केजरीवाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने बंसल को ठेके देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। हालांकि प्राथमिकी में उनके नाम शामिल नहीं किए गए थे।

मासूम बच्चियों के कातिल को हुयी आजीवन कारावास की सजा

न्यायसाक्षी@रायगढ। जमीन व संपत्ति के लिये दो बच्चियो कि जघन्य हत्या करने वाले चचेरे भाई को न्यायालय ने आज आजीवन कारावास व एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला धर्मजयगढ़ का सनसनीखेज व बहुचर्चित मामला हैं जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार शास्त्री ने फैसला सुनाया गवाहों व साक्ष्यों की रोशनी में मामला सिध्द पाया गया। मामला इस प्रकार है, कि 13 अगस्त 16 को बहादुर सिंह राठिया जो बराती बाई का भांजा हैं, ने घर में अकेली 13 साल की शोभित व 9 साल की करम कुवंर की टांगी से गर्दन काट कर हत्या कर दी थी, जिसका पता पुलिस ने विवेचना के दौरान लगाया। घटना के समय बराती बाई व उसका दूसरा पति संतराम मजदूरी करने गये हुये थे अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझानें में पुलिस अच्छी खासी मेहनत की और अपराधी बहादुर सिंह को उसके अंजाम तक पहुचाने में सशक्त आधार व साक्ष्य पेश किये।

सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु General Knowledge

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

त्रिपुरा अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

महात्मा गाँधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया - जवाहर लाल नेहरू

किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए - महात्मा गाँधी ने

फीनीक्स फार्म की स्थापना किसने की- महात्मा गाँधी ने

मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था - 22 दिसंबर 1939

भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था - चौधरी रहमत अली

1946 ई में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था - खाद्य एवं कृषि

1939 ई में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाषचंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की - फॉरवर्ड ब्लॉक

1946 ई में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी - जवाहरलाल नेहरू

किसने प्रांस चटगाँव शास्त्रगार पर हमले को आयोजित किया था- सूर्यसेन ने

जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे - सोशलिस्ट पार्टी

4 अप्रैल, 1919 ई को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिन्दू -मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिया - स्वामी श्रानंद ने

विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की - रवींद्र नाथ टैगोर ने

लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ - 1947 ई

सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरू को फाँसी कब दी गई - 23 मार्च 1931

नौसेनिक विद्रोह कब हुआ - 1946 ई

महात्मा गाँधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की - 1916 ई

सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया - 16 अगस्त, 1946 ई

हरिजन सवेक संघ के अध्यक्ष कौन थे - घनश्याम दास बिड़ला

पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था - दलित वर्ग से

हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई - 1928 में

भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ-9 अगस्त 1942

हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई - जलियांवाला बाग कांड के बाद

इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया - भगत सिंह ने

भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया - सर सीरिल रेडक्लिफ

अर्द्धनग्न फकीर महात्मा गाँधी को किसने कहा था - चर्चिल ने

खिलाफत आंदोलन किसने चलाया- शौकत अली व मुहम्मद अली ने

पाकिस्तान की माँग 1940 ई को किस अधिवेशन में की गई - लाहौर अधिवेशन

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ - 1935 में

कैबिनेट मिशन योजना कब बनी - 1946

दांडी मार्च कब आरंभ हुआ - 12 मार्च 1930

चौरी-चौरा कांड किस स्थान पर हुआ - गोरखपुर

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दिवस

लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी
विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी
राष्ट्रिय युवा दिवस 12 जनवरी
थल सेना दिवस 15 जनवरी
कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी
भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी
सर्वोदय दिवस 30 जनवरी
शहीद दिवस 30 जनवरी
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी
गुलाब दिवस 12 फरवरी
वेलेंटाइन दिवस 14 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस दृ 24 फरवरी
राष्ट्रिय विज्ञानं दिवस 28 फरवरी
राष्ट्रिय सुरक्षा दिवस 4 मार्च
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च
के0औ0सु0 बल की स्थापना दिवस 12 मार्च
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च
आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च
विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च
विश्व जल दिवस 22 मार्च
विश्व मौसम विज्ञानं दिवस 23 मार्च
राममनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च
विश्व टी0बी0 दिवस 24 मार्च
ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च
गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च
बांग्लादेश का राष्ट्रिय दिवस 26 मार्च
विश्व थियेटर दिवस 27 मार्च
विश्व स्वास्थ दिवस 7 अप्रैल
अम्बेदकर जयंती 14 अप्रैल
विश्व वैमानिकी दिवस 14 अप्रैल
विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल
विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल
विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल
विश्व श्रमिक दिवस 1 मई
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई
विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई
अंतर्राष्ट्रीय थैलीसिमिया दिवस 8 मई
राष्ट्रिय प्रौधोगिकी दिवस 11 मई
विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई
विश्व नर्स दिवस 12 मई
विश्व परिवार दिवस 15 मई
विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई
आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई
जैविक विविधिता दिवस 22 मई
माउन्ट एवरेस्ट दिवस 29 मई
विश्व तम्बाकू रोधी दिवस 31 मई
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून
विश्व रक्तदान दिवस 14 जून
अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति स्थापना दिवस 6 जून
विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून
राष्ट्रिय सांख्यिकी दिवस 29 जून
पी0सी0 महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई
चिकित्सक दिवस 1 जुलाई
डॉ0 विधानचंद्र राय का जन्म दिवस 1 जुलाई
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई
कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई
विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त
विश्व युवा दिवस 12 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त
राष्ट्रिय खेल दिवस29 अगस्त
ध्यानचन्द्र का जन्म दिवस 29 अगस्त
शिक्षक दिवस 5 सितम्बर
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर
हिंदी दिवस 14 सितम्बर
विश्व.बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितम्बर
अभियंता दिवस 15 सितम्बर
संचयिता दिवस 15 सितम्बर
ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितम्बर
विश्व शांति दिवस 21 सितम्बर
विश्व पर्यटन दिवस 27 सितम्बर

आइए जानें किस खेल में कितने खिलाड़ी

Base-ball 09, Basket ball 05, Cricket 11, Hockey 11,Foot-ball 11, Rugby football 15 Netball 07, Volleyball 06, Water-polo 07, Polo 04, Table tennis 01 or 02 ,Tennis 01 or 02 ,Badminton 01 or 02,Chess 01, Boxing 01,KhoKho 09, Kabaddi 07, Billiards /Snooker 01, Bridge 02